न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 14 / 2021

सरकार बनाम हवासिंह पुत्र लालचन्द, जाति– जाट, निवासी– नेतरामपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 22.06.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हवासिंह पुत्र लालचन्द, जाति–जाट, निवासी–नेतरामपुरा द्वारा रोही मोजा नेतरामपुरा कि राजकीय भूमि ख.नं. 81 के कुल रकबा6.54 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर बाथरूम,ढ़ारा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत की गई। भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें गै.मु.जोहड़ की भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण हटा कर भूमि को खाली कर दिया गया है किसी प्रकार का बाड़ा नहीं बना हुआ है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में जांच भू.अ.नि. भावठड़ी से करवाई गई। मुताबिक जांच भू.अ.नि. भावठड़ी, गैर सायल द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उक्त गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायल का अतिक्रमण पाया गया। रिर्पोट भू.अ.नि.से अतिक्रमण की पुष्टी होती है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है अतः रिपोर्ट भू.अ.नि. को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरूद्ध बेदखली आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 50रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........06....
वर्ष 2021-22 में रुपये...50/--- कायम
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़